उच्च न्यायालय, जबलपुर (म. प्र)

दांडिक अपील क्रमांक-370/1999

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील

अपीलार्थी : मंतराम उर्फ़ मंगतू, आत्मज झामेराम,आयु लगभग 32 वर्ष, बावर्ची, निवासी-नयापारा थाना- चकरभाठा, जिला बिलासपुर

बनाम

उत्तरदाता: मध्यप्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक-370/1999

मंत राम उर्फ़ मंगतू

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

निर्णय

–

विचारणार्थ

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

10.07.2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायाधीश श्री एल.सी.भादू

मैं सहमत हूँ

सही/-

एल.सी.भादू

न्यायाधीश

10.07.2005

निर्णय सुनाये जाने हेतु दिनांक 11.07.2005 को नियत

सही/-

न्यायाधीश

10.07.2005

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

खंडपीठ

कोरम - माननीय श्री एल.सी.भादू तथा माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक-370/1999

मंत राम उर्फ़ मंगतू

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से:- सुश्री दीपाली पाण्डेय,अधिवक्ता

राज्य की ओर से:- श्री अखिल मिश्रा,पैनल अधिवक्ता

निर्णय

(11 जुलाई 2005 को पारित)

सुनील कुमार सिन्हा,न्यायाधीश के अनुसार

(1) यह अपील द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 364/1998 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णाय दिनांक 09.1.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा आजीवन कारावास एवं 100/- रूपये जुर्माने का

दंडादेश दिया गया है। जुर्माने के व्यतिक्रम पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि मृतिका श्रीमती सावित्री बाई अपने पति मंतराम (अपीलार्थी) के साथ ग्राम नयापारा में रहती थी। 14-15 मार्च 1998 की मध्य रात्रि सावित्री बाई अपने पड़ोसी शुभदास के घर छठी (जन्म के बाद छठवे दिन का उत्सव) के अवसर पर वीडियो फिल्म देखने गई थी। वह सुबह लगभग 3 बजे वापस लौटी। अपीलार्थी ने उससे पूछा कि वह उसकी अनुमति के बिना वीडियो देखने क्यों गई थी । उसने उसके साथ मारपीट किया और उसके बाद उसे जान से मारने के आशय से उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया । इस मामले के संबंध में राम कुमार घोरी नामक व्यक्ति द्वारा सुबह लगभग 5 बजे थाना चकरभाठा को सूचित किया गया, जिसे दिनांक 15.3.1998 को रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी /5 के रूप में लिखित रूप में दर्ज किया गया। दिनांक 15.3.1998 को प्रातः 5:35 बजे जब पुलिस घटनास्थल पर गई तब उनके द्वारा देहाती नालिशी प्रदर्श पी/6 भी दर्ज किया गया। यह देहाती नालिशी स्वयं मृतिका द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें उसके द्वारा उपरोक्त संपूर्ण कहानी बताया गया था और कहा गया कि अपीलार्थी ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया था। ऐसा दर्शित होता है कि मृतिका को दिनांक 15.3.1998 को प्रातः 6.40 बजे सरदार पटेल अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती कराया गया था। उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उसे 68% जला हुआ पाया गया। दिनांक 17.3.1998 को दोपहर 3 बजे कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने उसका मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी/13 अभिलिखित किया,जिसमें भी उसने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपने पति के विरुद्ध सभी आरोप लगाए थे और कहा था कि उसका पति उसके चरित्र पर संदेह करता था और इसी कारण उसने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। वह दिनांक 25.3.1998 तक अस्पताल में जीवित रही, लेकिन अंततः उक्त दिनांक को ही सुबह करीब 6.30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। शव-परीक्षण उसी दिन किया गया और मृत्यु का कारण जलने के चोटों के कारण सेप्टीसीमिया बताया गया। अन्वेषण के पश्चात्, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया ।

(3) विचारण पूर्ण होने के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया तथा उसे उपरोक्तानुसार दंडादेश दिया। दोषसिद्धि मृतिका द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-13 पर आधारित है। विचारण न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन की विषय-वस्तु पर विश्वास करते हुए उसे सत्य एवं सही माना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा शहाबुद्दीन बनाम राजस्थान राज्य 1973 क्रिमिनल लॉ जर्नल 723 के मामले में दिये गये निर्णय का संदर्भ लेते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि मृत्युकालिक कथन सत्य नहीं है। यह सत्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तथा यह विश्वसनीय नहीं है। सत्र न्यायालय ने कथन को सत्य और सिद्ध मानकर विधिक त्रुटि कारित किया है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि मृत्युकालिक कथन का स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए कि कथनकर्ता मानसिक रूप से सचेत थी और उसके पास स्मृति या बुद्धि थी, जो यह

जानने के लिए पर्याप्त था कि वह क्या कर रही है और क्या कह रही है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि डॉक्टर ने मृत्युकालिक कथन दर्ज करने से पूर्व यह प्रमाण पत्र नहीं दिया कि मृतिका मृत्युकालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी। डॉक्टर ने मृत्युकालिक कथन को केवल इस आशय से प्रमाणित किया है कि "मृतिका मृत्युकालिक कथन दर्ज करने की पूर्ण अवधि अर्थात दिनाँक 17.3.1998 को दोपहर 3:05 बजे से 3:30 बजे तक सचेत थी ,उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि यह प्रमाण पत्र यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मृतिका मृत्युकालिक कथन देते समय मानसिक रूप से स्वस्थ थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि डॉक्टर जिन्होने इस आशय का प्रमाण पत्र दिया है, कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के दौरान मृतिका सचेत थी उनका इस मामले में परीक्षण नहीं किया गया है और इस प्रकार अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी का आचरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उक्त दुर्घटना के बाद अपीलार्थी स्वयं मृतिका के परिवार वालो के पास गया और उन्हें घटना के बारे में बताया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सगीर खान बनाम राजस्थान राज्य 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1705 के मामले में दिए गये निर्णय की कंडिका-9 का हवाला दिया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के अधिवक्ता को विस्तार से सुना है तथा मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है। मृत्युकालिक कथन की सत्यता की जांच के सिद्धांत सुस्थापित हैं। चूंकि मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता मृत्युकालिक

कथन करने वाले के प्रतिपरीक्षण के अधीन नहीं है, इसलिए न्यायालय के लिये आवश्यक है कि वह मृत्युकालिक कथन के आधार पर कार्यवाही करने से पहले कठोरतम जांच तथा अत्यंत सावधानी रखे। के.आर. रेड्डी तथा अन्य बनाम लोक अभियोजक ए.आई.आर **1976** एस.सी. **1994** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि मृत्युकालिक कथन में बहुत गंभीरता तथा पवित्रता होती है, क्योंकि मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति झूठ नहीं बोलता अथवा किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए कोई मनगढंत मामला नहीं बनाता है, फिर भी न्यायालय को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि मृतक का कथन किसी के द्वारा सिखाए-पढ़ाये जाने, प्रेरित किए जाने अथवा उसकी कल्पना की उपज न हो। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालय को इस बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक अपने हमलावरों को देखने और पहचानने का स्पष्ट अवसर मिलने के बाद बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था और वह बिना किसी प्रभाव या विद्वेष के बयान दे रहा था। यह भी देखा गया है कि एक बार न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाती है कि मृत्युकालिक कथन सत्य और स्वेच्छा से दिया गया है तब ऐसा कथन बिना किसी संपुष्टि के भी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त होगा। आगे इस निर्णय में माननीय न्यायालय ने माना है कि मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए न्यायालय को ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जैसे कि मरने वाले व्यक्ति को अवलोकन का अवसर, उदाहरण के लिए, यदि अपराध रात में किया गया था तो क्या पर्याप्त रोशनी थी; क्या व्यक्ति द्वारा बताए गए तथ्यों को याद रखने की क्षमता उस समय उसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षीण नहीं हुई थी; आधिकारिक अभिलेखों के अलावा यदि उसे मृत्युकालिक कथन करने के कई अवसर मिले थे तब सभी अवसरों पर कथन एक समान थे ; और कथन सबसे पहले अवसर पर दिया गया था। और यह हितबद्ध पक्षकारो द्वारा सिखाये -पढ़ाये जाने का परिणाम नहीं था।

(6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी.वी. राधाकृष्ण बनाम कर्नाटक राज्य, ए. आई.आर **2003 एस.सी. 2859** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य के इन पहलुओं को स्वीकार करने का सामान्य सिद्धांत यह है कि ये चरम बिंदु पर की गई घोषणाएं हैं, जब पक्षकार मृत्यु के कगार पर होता है और जब इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है, जब झूठ बोलने का हर आशय शांत हो जाता है और मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली विचारों से सच बोलने के लिए प्रेरित होता है। जिस सिद्धांत पर मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है, वह विधिक सूत्र "नेमो मोरिटुरस प्रोसुमिटुर मेंटिरी" में दर्शाया गया है - एक आदमी अपने मुंह में झूठ लेकर अपने निर्माता (भगवान) से नहीं मिलेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) उपरोक्त सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, यदि हम मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता की जांच करें,तब ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम यह निर्णीत करना होगा कि क्या मृत्युकालिक कथन करने वाला (घोषणाकर्ता) मृत्युकालिक कथन करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था या नहीं ? इस उद्देश्य के लिए, यदि हम मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी /13) का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मृत्युकालिक कथन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनाँक 17.3.1998 को दोपहर 3:05 से 3:30 बजे के बीच अभिलिखित किया गया

था। उक्त दस्तावेज के नीचे बाये ओर, डॉ.आर.जीतपुरे द्वारा दोपहर 3.30 बजे एक प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसमें यह पृष्ठांकन किया गया था कि मृत्युकालिक कथन करने वाला (घोषणाकर्ता) मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के दौरान लगे सम्पूर्ण अवधि अर्थात दोपहर 3:05 से 3:30 बजे तक होश में थी। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि प्रमाण-पत्र यह दर्शाता है कि मृतिका पूरी तरह से होश में थी, लेकिन इससे यह दर्शित नहीं होता है कि वह मृत्युकालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मृतिका मृत्युकालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी। इस बिंदु का परीक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2002) 6** एस.सी.सी **710** के मामले में दिये गये निर्णय के आलोक में किया जाना है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निर्देश था जिसमें लगभग इसी प्रकार का प्रश्न उठा है कि क्या डॉक्टर का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मरीज होश में है और इस बात का कोई प्रमाण-पत्र नहीं था कि मृत्युकालिक कथन करते समय रोगी मानसिक रूप से स्वस्थ था, मृत्युकालिक कथन (घोषणा) को अस्वीकार्य बनाता है और मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि कि मृत्युकालिक कथन(घोषणा) करते समय घायल व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था, पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या यह विधि का यह सही कथन है ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण मामले पर विचार करते हुए यहअभिनिर्धारित किया कि सामान्यतः न्यायालय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मृतक मृत्युकालिक कथन करने हेतु स्वस्थ और सचेत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवस्था में था या नहीं, चिकित्सीय अभिमत पर विचार करता है लेकिन जहां चक्षुदर्शी साक्षी कहते हैं कि मृतक कथन करने के लिए स्वस्थ और सचेत अवस्था में था, वहां चिकित्सीय अभिमत अभिभावी नहीं होगा, न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि मृत्युकालिक कथन करने वाले के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए मृत्युकालिक कथन स्वीकार्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि मृत्युकालिक कथन मौखिक या लिखित हो सकता है और संप्रेषण का पर्याप्त तरीका, चाहे शब्दों द्वारा हो या संकेतों द्वारा या अन्यथा, पर्याप्त होगा बशर्ते संकेत सकारात्मक और निश्चित हो। यह भी कहा गया है कि विधि में यह आवश्यकता नहीं है कि मृत्युकालिक कथन अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाना चाहिए और जब ऐसा कथन मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाता है तब ऐसा कथन अभिलिखित करने हेतु कोई निर्दिष्ट वैधानिक प्रारूप नहीं है। परिणामस्वरूप, ऐसे कथन को क्या साक्षिक मूल्य या महत्व दिया जाना चाहिए, यह प्रत्येक विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।अनिवार्य रूप से जो आवश्यक है वह यह है कि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने वाले व्यक्ति को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ है। जहां मजिस्ट्रेट की गवाही से यह साबित हो जाता है कि मृत्युकालिक कथन करने वाला व्यक्ति (घोषणाकर्ता) डॉक्टर द्वारा जांच किए बिना भी कथन देने के लिए स्वस्थ था, तो ऐसे मृत्युकालिक कथन के आधार पर कार्यवाही किया जा सकता है, बशर्ते न्यायालय अंततः यह माने कि ऐसा कथन स्वैच्छिक और सत्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डॉक्टर द्वारा प्रमाणन अनिवार्य रूप से सावधानी का नियम है और इसलिए मृत्युकालिक कथन की स्वैच्छिक और सत्य प्रकृति को अन्यथा स्थापित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश का उत्तर इस प्रकार दिया कि "चिकित्सीय प्रमाणपत्र के अभाव में कि घायल व्यक्ति मृत्युकालिक कथन करते समय मानसिक रूप से स्वस्थ था, मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि को स्वीकार करना बहुत जोखिम भरा होगा, जिन्होंने यह अभिमत दिया कि घायल व्यक्ति मृत्युकालिक कथन करते समय मानसिक रूप से स्वस्थ था", विधि का सही कथन नहीं है।

(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के दृष्टिगत हम अभिनिर्धारित करते हैं कि डॉक्टर का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मरीज होश में था तथा इस आशय का प्रमाण पत्र न दिया जाना कि मरीज मृत्युकालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था, से मामले में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यदि मृत्युकालिक कथन विधि के अनुसार अन्यथा साबित हो जाता है और अंततः स्वैच्छिक और सत्य माना जाता है। अब यदि हम मृत्युकालिक कथन को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसे प्रश्नोत्तर के रूप में अभिलिखित किया गया है। मजिस्ट्रेट ने नाम आदि के बारे में एक परिचयात्मक प्रश्न पूछा है और कथन करने वाली महिला की भाषा में सकारात्मक उत्तर अभिलिखित किया गया है, जिसमें उसने अपने पति का नाम, अपनी आयु, व्यवसाय और निवास स्थान के साथ थाना का नाम निर्दिष्ट तरीके से अभिलिखित कराया है। हम पाते हैं कि अभिलेख के आधार पर ये सभी विवरण सही हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है जो दिनाँक 15.3.1998 को हुई घटना के संबंध में है और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतिका ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि पति ने उसके चरित्र पर संदेह करने के कारण उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसके बाद उसे आग लगा दिया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का परीक्षण अ.सा -9 के रूप किया गया है । उन्होंने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि "मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने से पहले उन्होंने मृत्युकालिक कथन करने वाली (घोषणाकर्ता) का डॉक्टर से परीक्षण कराया था और जब डॉक्टर ने प्रमाणित किया कि मरीज सोचने, समझने और बोलने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में है, केवल तभी उन्होंने मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया। मृतिका की मानसिक स्थिति आदि के बारे में इस गवाह से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है और उसके सामने केवल एक ही सुझाव रखा गया है कि उक्त मृत्युकालिक कथन मृतिका के रिश्तेदारों से पूछने के बाद अभिलिखित किया गया था। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा बुलाए जाने और डॉक्टर की सहायता से मृतिका की मानसिक स्थिति के बारे में संतुष्ट होने और पहचान आदि के बारे में परिचयात्मक प्रश्न पूछने के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने व्यक्तिपरक संतुष्टि के बाद यह मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया है, जिससे दर्शित होता है कि घोषणाकर्ता ऐसी घोषणा देने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी और यह तर्क कि मृतिका स्वस्थ मानसिक स्थिति में नहीं थी , स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अब अगले प्रश्न पर आते हैं,जो मृत्युकालिक कथन दिये जाने का प्रमाण पत्र देने वाले डॉक्टर का परीक्षण न किए जाने से संबंधित है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शानमुंगम उर्फ़ कुलंदैवेलु बनाम तमिलनाडु राज्य ए.आई.आर **2003**

<u>एस.सी.**209**</u> के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया गया है,जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब मृतक की चेतना और बयान देने की उसकी स्थिति के बारे में मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के बाद मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया था और डॉक्टर ने मरीज की चेतना के बारे में मृत्युकालिक कथन पर पृष्ठांकन भी किया था, तब केवल यह तथ्य कि जिस डॉक्टर की उपस्थिति में मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया था,उसका परीक्षण नहीं किया गया था,मृत्युकालिक कथन के साक्षिक मूल्यों को प्रभावित नहीं करता है। हम यह भी अभिनिर्धारित करते हैं कि मृत्युकालिक कथन के संबंध में प्रमाण पत्र देने वाले डॉक्टर का परीक्षण न किये जाने से मृत्युकालिक कथन के साक्षिक मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,यदि यह अन्यथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कथन और इस मामले में अन्य सहायक परिस्थितियों के आधार पर सत्य और विश्वसनीय साबित होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) अब हम मृतिका को सिखाने-पढ़ाने की संभावना तथा अन्य परिस्थितियों के प्रश्न पर आते हैं,जिनके आधार पर मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जा सकता है। यदि हम अभिलेख का परिशीलन करते है तो यह दर्शित होता है कि घटना के तुरंत बाद दिनाँक **15.3.1998** को प्रातः **5** बजे रामकुमार नामक व्यक्ति द्वारा इस घटना की सूचना थाने में दिया गया था। यह सूचना रोजनामचा सान्हा क्रमांक-**514** दिनांक **15.3.1998** के रूप में अभिलिखित किया गया था जिसे प्रदर्श पी**/5** के रूप में प्रमाणित किया गया है। सान्हा की विषय-वस्तु भी अभियोजन पक्ष की इस आशय की कहानी कि अपीलार्थी द्वारा मृतिका को जलाया गया था,का समर्थन करती है। यह पुलिस

को दी गई पहली सूचना थी, जो अंततः मृत्युकालिक कथन का समर्थन करती है। इतना ही नहीं, उसी दिन प्रातः 5:35 बजे जब पुलिस घटनास्थल पर गई, तब प्रदर्श .पी.6 के अनुसार देहाती नालिशी भी दर्ज किया गया । यह देहाती नालिशी स्वयं मृतिका ने दर्ज कराई थी, जिसमें मृतिका ने अपीलार्थी के विरुद्ध लगभग वही आरोप लगाए थे। यह भी मृत्युकालिक कथन की विषय-वस्तु की सम्पुष्टि करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देहाती नालिशी रामकुमार (अ.सा-4), जो मृतका का पड़ोसी है,के समक्ष दर्ज कराया गया था । उसने अपने साक्ष्य के कंडिका- 2 में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका ने अपने पति के विरुद्ध आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराया है कि उसके पति ने उसके ऊपर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था और यह बयान पुलिस ने उसके समक्ष दर्ज किया था। उसने यह भी कहा है कि मृतिका ने उक्त बयान पर अंगूठे का निशान लगाया था और आगे स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी/6 का बयान देते समय पूरी तरह होश में थी। वास्तव में वह मृतिका द्वारा पुलिस को दिनाँक 15-3-1998 को प्रातः 5:35 बजे रोजनामचा सान्हा दर्ज कराए जाने का चक्षुदर्शी साक्षी है। हमारी राय में, मृतिका के लिए पुलिस के समक्ष अपना बयान देने का यह सबसे पहला अवसर था और वह भी साक्षी रामकुमार (अ. सा-4) की उपस्थिति में, जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका यह बयान कि उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दिया, देते समय पूरी तरह होश में थी। यहां इस तथ्य का उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी रामकुमार (अ.सा-4) का बचाव पक्ष द्वारा उसके कथन के विरुद्ध किसी भी बिंदु पर प्रतिपरीक्षण नहीं किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया है और आश्चर्यजनक रूप से उसके प्रतिपरीक्षण को ' निरंक ' के रूप में अंकित किया गया है।

ऊपर उल्लेखित, तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार मृतिका को सिखाने पढ़ाने करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मृतिका के रिश्तेदारों के पास उसे सिखाने पढ़ाने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि उसने सबसे पहले पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया है, जिसके आधार पर उसी दिन सुबह लगभग 5:35 बजे देहाती नालिशी दर्ज किया गया। यह बयान दिनाँक 17.3.2013 को दिए गए मृत्युकालिक कथन के लगभग समान है और पुलिस को दिये गए सूचना जिसे दिनाँक 15.3.1998 को सुबह 5.00 बजे रोजनामचा सान्हा के रूप में दर्ज किया गया था, की विषय-वस्तु के समान है। तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, चूंकि सभी कथन एक जैसे हैं और पूर्व के कथन घटना के तुरंत बाद अभिलिखित किए गए थे, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि मृतिका को सिखाने पढ़ाने का कोई अवसर था जिससे दिनांक 17.3.1998 को वह झूठा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करा सके ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तथा सम्पोषक साक्ष्यों अर्थात् रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श पी **-5**) और देहाती नालिशी (प्रदर्श पी**-6**) के आधार पर हमारा यह मत हैं कि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है,जिसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। डॉक्टर का इस आशय का प्रमाण पत्र कि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करते समय मृतिका होश में थी और इस आशय का कथन न दिया जाना कि मृतिका मृत्यु कालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी, इसके अलावा अभियोजन

पक्ष द्वारा डॉक्टर का परीक्षण न कराये जाने से भी इस विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं पड़ता है

(12) अब अभियुक्त/अपीलार्थी के आचरण के बारे में अंतिम प्रश्न पर आते हैं, हमारा मत है कि चूंकि हमने मृत्युकालिक कथन को सत्य और विश्वसनीय माना है तथा हम यह मान रहे हैं कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा **302** के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी है,अतः इस न्यायालय को आचरण के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

(13) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम अभिनिर्धारित करते है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-**13**) पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा **302** के अंतर्गत उचित रूप से दोषी ठहराया है। इस अपील में कोई सार नहीं है। अपील असफल हो जाती है तथा खारिज की जाती है। अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को बरकरार रखा जाता है तथा उसकी पुष्टि की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(एल. सी भादू)
न्यायाधीश
11.07.2005

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश
11.7.2005

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur